न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18 / 2022 (राजसमन्द डिक्री)

1. चॉद मोहम्मद पिता स्व. जमाल जी मुसलमान, निवासी जीतावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. गफूर पिता स्व. जमाल जी मुसलमान, निवासी जीतावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, राजसमन्द (राज.)
2. अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, खण्ड द्वितीय, चित्तौड़गढ़ (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा दिनांक 20.06.2022 प्रकरण संख्या 91 / 2018

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री एस. एल. लड्डा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री राजकीय पैरोकार अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय दिनांक 21–09–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जीतावास, तहसील रेलमगरा में आराजी नंबर 1672 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा वादीगण के पूर्वाधिकारी श्री जमाल पिता लाल जी जाति मुसलमान के स्वामित्व एवं आधिपत्य की चली आ रही है। जमाल जी की मृत्यु करीब 5 वर्ष पूर्व हो जाने से वादीगण को उक्त भूमि उत्तराधिकार से प्राप्त हुई है। उक्त आराजी के करीब आधे बीघे रकबे पर सिंचाई विभाग की नहर कपासन फीडर निर्मित करते समय अतिक्रमण कर नहर का निर्माण कर रखा है, जिससे वादीगण को कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु भूमि का अंकन वादीगण के नाम होना नितान्त आवश्यक है। वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय जमाल जी को कृषि भूमि के रूप में गैरखातेदारी से आवंटित हुई थी। आवंटन पश्चात् वादीगण के पिता जमाल जी ने हजारों रूपये खर्च कर व परिश्रम कर भूमि को उपजाऊ बनाया, जिससे दिनांक 06–11–1974 को उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। अर्थात उक्त दिनांक को जमाल जी खातेदार कृषक थे। वर्ष 1978 में स्वर्गीय जमाल जी के स्वामित्व की उक्त जमीन का बिना किसी विधिक प्रक्रिया के पटवारी द्वारा कर्मियों द्वारा 26–07–1978 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:34 IST
Reason: SelfAttested

मिसल सख्या 23 सन् 1978 का हवाला देते हुए उक्त आराजी सिंचाई विभाग नहर कपासन फिडर के नाम पर नामान्तरकरण निर्णित कर दिया गया, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। उक्त नामान्तरकरण वादीगण के मुकाबले बेअसर व शून्य है। वादीगण द्वारा सिंचाई विभाग व उच्चाधिकारियों को पत्राचार द्वारा सूचित किया गया लेकिन उक्त अशुद्धि हटाने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिससे वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करने पर विवश होना पड़ा। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी नंबर 1672 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी नंबर 1672 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा सिंचाई विभाग नहर कपासन के नाम दर्ज रेकार्ड है, जो विधिवत अवाप्त की जाकर नहर निकाली गयी है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर बताया कि विवादित नंबर 1672 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा सिंचाई विभाग के नाम दर्ज रेकार्ड है, जिसका उपयोग उपभोग विभाग द्वारा सार्वजनिक हितार्थ जनहित में किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 का कोई अतिक्रमण नहीं है तथा उक्त आराजी करीब 33 वर्षो से विभाग के नाम दर्ज चली आ रही है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग के आधार पर प्रकरण में कुल 3 तनकियां कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 20–06–2022 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10–08–2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 का निर्णय रेकार्ड से परे जाकर मनमानी तरीके से किया है। इस तनकी में अधिनस्थ न्यायालय को यह देखना था कि आराजी नंबर 1672 वादीगण के खातेदारी हक आधिपत्य की थी अथवा नहीं ? वादी ने जमाबन्दी प्रदर्श 4 प्रस्तुत कर इसे बयानों से साबित कराया है, जिसके खण्डन में कोई साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे प्रमाणित है कि आराजी नंबर 1672 वादीगण के पूर्वाधिकारी के हक व आधिपत्य की थी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। इस तनकी का दूसरा भाग यह था कि उक्त भूमि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में अवैधानिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:34 IST
Reason: SelfAttested

रूप से खातेदारी हक में दर्ज कर दी गयी है। वादी ने इस हेतु नामान्तरकरण संख्या 249 दिनांक 27—07—1978 की नकल प्रदर्श 5 प्रस्तुत की, जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादी के पिता के नाम से सिंचाई विभाग के नाम रद्दोबदल की गयी है, जिसके कोलम संख्या 16 में अंकित है कि ''माफिक आदेश मिसल नं. 23 सन् 78 से नामान्तरकरण खोला गया।'' इस तथ्य को प्रतिवादी को साबित कराना था कि उनके नाम नामान्तरकरण क्यों खोला गया ? प्रवितादी सरकारी विभाग होकर रेकार्ड उन्हीं के पास है, जो उन्हें पत्रावली संख्या 23 सन् 1978 लाकर बताना पड़ेगा कि कैसे जमीन सिंचाई विभाग को दी गयी। स्वयं प्रतिवादी के गवाह डी.डब्ल्यू. 3 सत्यनारायण ने शपथ पत्र में लिखा कि मिसल संख्या 23/1978 का रेकार्ड उपलब्ध नहीं है इस कारण मिसल की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गयी। अर्थात यह साबित नहीं हुआ कि जमाल के खातेदारी की जमीन प्रतिवादी के नाम पर कैसे आयी, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने यह तनकी वादी/अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णित कर दी। आश्चर्य है कि अपीलान्ट चॉद मोहम्मद के सिंचाई विभाग में नौकरी करते हुए उसके पिता की भूमि सिंचाई विभाग के नाम हो गयी। वादी ने आधा बीघा भूमि जिसमें नहर निकली कभी आपत्ति नहीं की, किन्तु शेष भूमि बाबत् वादी के हकों को कैसे खत्म किया जा सकता है। खातेदारी घोषणा की कोई मियाद नहीं होती तथा म्यूटेशन प्रोसिडिंग फिजिकल प्रोसिडिंग होती है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 2 वादी के विरूद्ध निर्णित कर दी। तनकी नंबर 3 पर किसी प्रकार का विवेचन किये ही अधिनस्थ न्यायालय ने उसे वादीगण के विरूद्ध निर्णित कर दी। क्या जनहित यह कहता है कि करीब आधा बीघा जमीन के बजाय 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि किसी खातेदार की छीन ली जावे, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में उनके द्वारा चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे। विकल्प में यह भी निवेदन किया कि वादी के हक अधिकार की भूमि में आधा बीघा भूमि में निकली नहर की भूमि की जगह छोड़ते हुए शेष भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रदर्श 2 एवं प्रदर्श 3 में [illegible] आराजी नंबर 1672 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि सिंचाई विभाग नहर कप[illegible] के खातेदारी में दर्ज है, जबकि प्रदर्श 4 अनुसार पूर्व में यह भूमि वादीगण के पिता जमाल पिता लाला के खातेदारी में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:34 IST
Reason: SelfAttested

थी। प्रदर्श डी–1 नामान्तरकरण संख्या 249 में खातेदार के कोलम में वादीगण के पिता जमाल का नाम अंकित होकर कैफियत में ''माफिक आदेश मि.नं. 23 सन् 78 से नामान्तरकरण खोला गया'' का अंकन है, किन्तु उक्त मिसल अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलान्ट/वादीगण के पिता के खाते की भूमि किसी वैध तरीके से प्रतिवादी सिंचाई विभाग के नाम अंकित की गयी हो। यह प्रतिवादी का दायित्व था कि वह उक्त मिसल संख्या 23 अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अपने जिम्मे की तनकी को साबित कराते। हमारे समक्ष अपीलान्ट ने जमाबन्दियां प्रस्तुत कर बताया कि अन्य खातेदारों की भूमि भी नहर क्षेत्र में आती है, किन्तु वह भूमियां आज भी उनकी खातेदारी में दर्ज है। इसलिए अपीलान्ट/वादीगण की भूमि भी उनकी खातेदारी में दर्ज की जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने हालांकि तनकीवार विवेचन किया है, किन्तु हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियों का विवेचन साक्ष्यों के आधार पर किया जाना प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–06–2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि ''प्रकरण में तहसीलदार स्वयं एवं सिंचाई विभाग के अधिकारी अपीलान्ट/वादीगण उपस्थिति में मौके का निरीक्षण कर इस बात की पुष्टि करें कि अपीलान्ट/वादीगण की सिर्फ आधा बीघा भूमि पर नहर निकली है या समस्त 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर तथा अन्य खातेदारों की भूमियों में भी नहर निकली है या नहीं तथा यदि नहर निकली है तो क्या उनकी भूमियां उनके खातेदारी में दर्ज है ? साथ ही इस बात की भी पुष्टि की जावे कि अपीलान्ट के कथनानुसार यदि आधा बीघा भूमि पर ही नहर निकली है तो फिर उसकी समस्त भूमि सिंचाई विभाग नहर के नाम पर क्यों अंकित है ?'' उक्त समस्त तथ्यों की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों अनुसार विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20–11–2023 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 21–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:34 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर